POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 02.12.2022

1-थाना बिसरख पुलिस द्वारा गुमशुदा महिला हेमा चौधरी की हत्या का सनसनीखेज पर्दाफाश करते हुऐ घटना में शामिल अभियुक्ता सहित 02 गिरफ्तार, कब्जे से आलाकत्ल चाकू , अवैध शस्त्र व निशादेही पर मृतका हैमा चौधरी के दो मोबाइल फोन , बैग, कपडे व अन्य सामान बरामद।

दिनांक 01.12.2022 को थाना बिसरख पुलिस द्वारा गुमशुदा महिला हेमा चौधरी की हत्या का सनसनीखेज पर्दाफाश करते हुऐ घटना में शामिल अभियुक्ता पायल भाटी पुत्री स्वं श्री रविन्द्र भाटी निवासी बढ़पुरा, थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर व अभियुक्त अजय कुमार पुत्र गुरदेव सिंह निवासी ग्राम महिपा जांगीर, थाना सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर को चार मूर्ति गोल चक्कर से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त/अभियुक्ता के कब्जे से 1.आलाकत्ल एक चाकू 2.एक अवैध तमन्चा मय 08 जिन्दा कारतूस व एक खोखा कारतूस 3.तीन मोबाइल फोन(दो फोन मृतका के व एक फोन अभियुक्त अजय का) 4.मोटरसाइकिल एफ.जेड. रजि नं0 एचआर 30 एच 3235 (घटना में प्रयुक्त) 5.एक सुसाईड नोट मय पैन मय रजिस्टर अभियुक्ता पायल भाटी 6.मृतका की घडी मय चार्जर 7.एक बैग (मृतका हैमा चौधरी) 8.मृतका हैमा चौधरी के कपडे 9.एक हैयर क्लिप मृतका (हैमा चौधरी) व 10.मैरिज सर्टिफिकेट पायल भाटी बरामद किये गये है।

अपराध का विवरणः

दिनांक 15.11.2022 को थाना बिसरख पर वादियां श्रीमती मुमतेश की तहरीर पर उनकी बहन हेमा चौधरी उम्र- 28 वर्ष के संबंध मे गुमशुदगी दर्ज करायी गयी, गुमशुदगी की जाँच उ0नि0 श्री उपेन्द्र कुमार के द्वारा की जा रही थी । दौराने जाँच ज्ञात हुआ कि हेमा चौधरी के मोबाइल फोन पर अन्तिम समय अभियुक्त अजय कुमार पुत्र गुरदेव सिह उपरोक्त से हुई थी। कल दिनांक 01-12-2022 को चार मूर्ति गौल चक्कर पर अभियुक्त अजय कुमार उपरोक्त व उसकी प्रेमिका अभियुक्ता पायल भाटी को गिरफ्तार किया गया था। तभी पूछताछ के दौरान दोनों अभियुक्त/अभियुक्ता द्वारा बताया कि हम दोनों की दोस्ती लगभग दो वर्ष पहले फेसबुक के माध्यम से हुई थी। दोस्ती के दौरान ही मई माह 2022 में पायल भाटी के माता-पिता द्वारा आत्महत्या कर ली गयी थी इस सम्बन्ध में थाना दादरी पर मु0अ0सं0 389/2022 धारा- 306 भा.द.वि. अभियुक्ता पायल भाटी के भाई अरुण द्वारा विरुद्ध 1.सुनिल पुत्र भगवत निवासी चौना नंगला थाना जरचा गौतमबुद्धनगर 2.कौशेन्द्र पुत्र अजब सिंह निवासी छतनौर जिला हापुड 3.गोलू पुत्र अजब सिंह निवासी उपरोक्त 4. स्वाती पत्नी अरुण भाटी निवासी बडपुरा थाना दादरी गौतमबुद्धनगर पंजीकृत कराया था। पायल भाटी द्वारा बताया गया कि मेरे बुआ के लडके सुनील व मेरी भाभी स्वाती व उनके भाई कौशेन्द्र ओर गोलू के द्वारा रुपये के लेनदेन को लेकर मेरे पिता रविन्द्र व माता श्रीमती राकेश को टार्चर किया गया इसलिये मेरे माता-पिता ने आत्महत्या कर ली, इसी बात का बदला पायल भाटी को अपने रिस्तेदारों सुनील, कौशेन्द्र, गोलू, व स्वाती से लेना था ओर योजनाबद्ध तरीके से पायल भाटी ने अपने साथी/प्रेमी से कहा कि मैं अपने माँ बाप का बदला लेना चाहती हूँ तुम अगर मेरा साथ दोगे तभी तुम्हारे साथ शादी करुंगी और कहा कि मेरी कद काठी की कोई लडकी ढूंढ कर लाओ जिसे हम लोग चेहरा जला कर मार देंगे, ओर एक सुसाईड नोट छोड देंगे। दुनिया की नजरों में मैं मर चुकी हुँगी फिर बदला लेकर तुमसे शादी कर लूँगी। दिनांक 12-11-2022 को दोनों अभियुक्त/अभियुक्ता की योजना के अनुसार अभियुक्त

अजय द्वारा नींद की गोलियां लाकर पायल भाटी को दी ओर कहा कि मैं तुम्हारी कद काठी की कोई लडकी लेकर आउंगा, रात को घर पर इन्तजार करना, और अपने परिवार को नींद की गोलियां खिला कर सुला देना । तभी अजय कुमार के किसी परिचित के माध्यम से हेमा चौधरी से सम्पर्क किया ओर हेमा चौधरी को पाँच हजार रुपये देने का लालच देकर और अपने साथ अपनी मो0सा0 एफ0जेड0 से हेमा चौधरी को रात्री 11.00 बजे दिनांक 12-11-2022 को अभियुक्त अजय लेकर पायल भाटी के घर बढपुरा पहुँचा और पायल भाटी वहाँ पहले से ही मौजूद थी। हेमा चौधरी को दोनों के द्वारा उपर छत पर ले जाकर गला रेतकर हत्या कर दी गयी और हेमा चौधरी के दोनों हाथों की नस काटकर एक सुसाईड नोट पायल भाटी द्वारा अपने हस्तलेख में तैयार कर मौके पर ही छोड दिया और सरसों का खोलता हुआ तेल हेमा चौधरी के चहरे पर डालकर चेहरा खराब कर दिया गया और अपने कपडे उतारकर हैमा चौधरी को पहना दिये और रात्री में ही अपने प्रेमी अजय के साथ दोनो लोग घर से फ़रार हो गये। अगले दिन परिवारीजन द्वारा हेमा चौधरी की लाश को पायल भाटी की लाश समझकर रिति रिवाज से अन्तिम संस्कार कर दिया गया। अजय कुमार व पायल भाटी के द्वारा बुलन्दशहर के बीसा कालोनी में एक किराये के मकान में रहकर दिनांक 27-11-2022 को आर्य समाज मन्दिर ग्रेटर नोएडा में शादी कर ली तथा इसी दौरान अभियुक्त/अभियुक्ता के द्वारा तीन बार अपने बुआ के लडके सुनील का हत्या करने के लिये काफी पीछा किया परन्तु सफल नहीं हो पाये तभी पायल भाटी को विश्वाश हो गया था अजय उसका साथ दे रहा है जिस पर दोनो ने शादी कर ली थ। दोनो अभियुक्त/अभियुक्ता को बिसरख पुलिस द्वारा मय आलाकत्ल व अवैध तमन्चे के गिरफ्तार किया गया है । इनकी निशादेरी पर मृतका हैमा चौधरी के दो मोबाइल फोन व बैग, कपडे व अन्य सामान को बरामद किया गया है।

अभियुक्त का विवरणः

1.अजय कुमार पुत्र गुरदेव सिंह निवासी ग्राम महिपा जांगीर, थाना सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर।

अभियुक्ता का विवरणः

1.पायल भाटी पुत्री श्री रविन्द्र भाटी निवासी बढ़पुरा, थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग का विवरणः

मु0अ0सं0 794/2022 धारा 302/201/120बी/34 भादवि0 व 3/25/27 आर्म्स एक्ट व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरणः

1.आलाकत्ल एक चाकू

2.एक अवैध तमन्चा मय 08 जिन्दा कारतूस व एक खोखा कारतूस

3.तीन मोबाइल फोन(दो फोन मृतका के व एक फोन अभियुक्त अजय का)

4.मोटरसाइकिल एफ.जेड. रजि नं0 एचआर 30 एच 3235 (घटना में प्रयुक्त)

5.एक सुसाईड नोट मय पैन मय रजिस्टर अभियुक्ता पायल भाटी

6.मृतका की घडी मय चार्जर

7.एक बैग (मृतका हैमा चौधरी)

8.मृतका हैमा चौधरी के कपडे

9.एक हैयर क्लिप मृतका (हैमा चौधरी)

10.मैरिज सर्टिफिकेट पायल भाटी

2-थाना इकोटेक-3 पुलिस द्वारा हत्या करने की नियत से हमला करने वाला एक वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त पैपर कटर ब्लेड बरामद।

दिनांक 02.12.2022 को थाना इकोटेक-3 पुलिस द्वारा हत्या करने की नियत से हमला करने वाला एक वाँछित अभियुक्त सौरभ सिंह चौहान पुत्र अतर सिंह चौहान निवासी ग्राम जसावली, तहसील सेनोठा, जिला दतिया, मध्यप्रदेश वर्तमान निवासी संजय गुर्जर का मकान, चामुण्डा मन्दिर के पास, हबीबपुर, थाना इकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर को थाना क्षेत्र के सुत्याना कट से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त पैपर कटर ब्लेड(बेस्ट लिखा हुआ) बरामद हुआ है।

घटना का विवरणः

अभियुक्त सौरभ सिंह दिनांक 21.11.2022 को अपने साथ काम करने वाले सुपरवाईजर रामकुमार द्वारा काम में टोका-टाकी करने के कारण रामकुमार को जान से मारने की नियत से गर्दन पर ब्लेड मारकर जानलेवा हमला करके भाग गया था जिसके सम्बन्ध में पीडित के पुत्र चेतन गौतम द्वारा अपने पिता रामकुमार गौतम के साथ गालियां देते हुए जान से मारने की नियत से धारदार ब्लैड से गर्दन पर वार करने जिससे वादी के पिता की गले की साँस की नली कट जाने व घायल हो जाने पर थाना इकोटेक-3 पर मु0अ0सं0 474/22 धारा 307/504 भादवि पंजीकृत कराया गया था।

अभियुक्त का विवरणः

सौरभ सिंह चौहान पुत्र अतर सिंह चौहान निवासी ग्राम जसावली, तहसील सेनोठा, जिला दतिया, मध्यप्रदेश वर्तमान निवासी संजय गुर्जर का मकान, चामुण्डा मन्दिर के पास, हबीबपुर, थाना इकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग का विवरणः

मु0अ0सं0 474/22 धारा 307/504 भादवि थाना इकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरणः

घटना में प्रयुक्त एक पेपर कटर ब्लेड रंग लाल जिस पर बेस्ट लिखा है।

3-थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा धोखाधडी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 02.12.2022 को थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा धोखाधडी के अभियोग में वांछित अभियुक्त राकेश पुत्र रामचन्द्र निवासी 295, सतियापाना पूठ खुर्द, थाना बवाना, दिल्ली को एलजी गोलचक्कर के पास से गिरफ्तार किया गया है।

वादी श्री अश्वनी कुमार पुत्र स्व श्री योगेन्द्र प्रसाद निवासी सरातोगा सीए 95070 कैलिफोर्निया, अमेरिका मूल पता एनएचपीसी ऑफिसर सोसाइटी पकेट पी-4, बिल्डिर्स एरिया ग्रेटर नोएडा थाना बीटा-2 गौतमबुद्धनगर ने Cholamandalam investment and finance company के डायरेक्टर 1.Mr.विलियन सूभ्भा 2.दीपक चोपड़ा 3.शुभम सिंह 4.अशोक कुमार आदि के विरूद्ध धोखाधडी से वादी की माता श्रीमती प्रतिमा प्रसाद की मृत्यु के उपरान्त व वादी के अमेरिका में होने के दौरान फर्जी हस्ताक्षर करके 01 करोड़ 16 लाख 7 हजार 673 रूपये का लोन लेकर धोखाधडी करने के सम्बन्ध में पंजीकृत कराया गया था। दौराने विवेचना अभियुक्त राकेश उपरोक्त का नाम प्रकाश में आया था जिसको एलजी गोलचक्कर के पास से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त का विवरणः

राकेश पुत्र रामचन्द्र निवासी 295, सतियापाना पूठ खुर्द, थाना बवाना, दिल्ली।

अभियोग का विवरणः

मु0अ0सं0 43/22 धारा 420/467/468/471 भादवि थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।

#पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों को शारीरिक व मानसिक रूप से दुरुस्त व तनाव मुक्त रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग प्रशिक्षक श्री प्रेम योगी जी द्वारा पुलिस उपायुक्त सेंट्रल नोएडा/मुख्यालय श्री रामबदन सिंह की उपस्थिति में पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर पुलिस अधिकारीगण/कर्मचारियों को योगाभ्यास कराया गया।

दिनांक 02.12.2022 को पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर श्रीमती लक्ष्मी सिंह के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों को शारीरिक व मानसिक रूप से दुरुस्त व तनाव मुक्त रखने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय योग प्रशिक्षक श्री प्रेम योगी जी द्वारा पुलिस उपायुक्त सेंट्रल नोएडा/मुख्यालय श्री रामबदन सिंह की उपस्थिति में पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर पुलिस अधिकारीगण/कर्मचारियों को योगाभ्यास कराया गया। आचार्य योगी जी द्वारा पुलिसकर्मियों को योग एवं प्राणायाम कराते हुए उससे होने वाले लाभ एवं बीमारियों के निराकरण से अवगत कराते हुए नियमित रूप से योग किए जाने हेतु प्रेरित किया गया तथा सभी पुलिसकर्मियों से कहा कि योग को प्रत्येक दिवस अपनी दिनचर्या में पूर्ण मनोयोग से शामिल कर स्वस्थ शरीर एवं मनोबल से अपने कर्तव्यों का भली प्रकार से निर्वहन करे। योग द्वारा न सिर्फ बीमारियों का उपचार किया जाता है, बल्कि इसे अपनाकर कई शारीरिक और मानसिक कमियों को भी दूर किया जा सकता है। सभी पुलिसकर्मियों को अपने आवासों के आसपास स्वच्छता बनाए रखने हेतु भी अपील की गई जिससे अनेक बीमारियां उनसे दूर रहें।

"**जीवन में अपनाएं योग, हमेशा रहें निरोग।"**